

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

मक्सी रोड, पोस्ट बॉक्स 106, उज्जैन 456010 (म.प्र.)

दुग्ध संकलन परिवहन कार्य हेतु चतुर्थ ई-निविदा

क्रमांक / उ.दु.सं. / क्षे.सं. / परिवहन ई-निविदा / 2026 / 2448 / 30.09.2026

ई-निविदा ऑनलाईन वेब साईड <http://www.mptenders.gov.in> के माध्यम से आमंत्रित की जाती है।

निविदा संबंधि विस्तृत शर्तें एवं अन्य जानकारी हेतु www.sanchidairy.com पर लॉगआन करें।

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

मक्सी रोड, पोस्ट बॉक्स 106, उज्जैन – 456010 (म.प्र.)

E-mail : fo.uds@sanchidairy.com

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
मकसी रोड़ उज्जैन 456010 (म.प्र.)
E-Mail: fo.uds@sanchidairy.com

क्रमांक / उ.दु.सं. / क्षे.सं. / ई-निविदा / 2026 / 2448 / 30.09.2026
चतुर्थ ई-निविदा सूचना

दुग्ध संकलन परिवहन कार्य हेतु वर्ष 2026-29 के लिये ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

1.	निविदा कार्य- दुग्ध संकलन परिवहन कार्य अवधि 01.09.2026 से 31.08.2029	
2.	ई-निविदा प्रपत्र का क्रय मूल्य	राशि रु. 500/- (अक्षरी रु. पाँच सौ मात्र)
3.	अमानत राशि	राशि रु. 10000.00 अक्षरी रु. (दस हजार रु.) ऑनलाईन द्वारा भुगतान करना है।
4.	ई-निविदा प्रपत्र ऑनलाईन विक्रय प्रारंभ दिनांक एवं समय	दिनांक 01/10/2026 प्रातः 11:00 बजे से
5.	ई-निविदा प्रपत्र ऑनलाईन क्रय एवं अपलोड करने की अंतिम दिनांक एवं समय	दिनांक 21/10/2026 दोपहर 1:00 बजे तक
6.	तकनीकी बीड ऑनलाईन रूप से खोलने की दिनांक एवं समय	दिनांक 22/10/2026 दोपहर: 2:00 बजे
7.	निविदा खोलने का स्थान	कार्यालय उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मकसी रोड़ उज्जैन- 456010(म.प्र.)

निविदाकार द्वारा निविदा प्रपत्र हेतु निम्न जानकारी/दस्तावेज।

<u>ANNEXURE I</u>	:	निविदा नियम एवं शर्तें
<u>ANNEXURE II</u>	:	अनुबंध पत्र प्रारूप।
<u>ANNEXURE III</u>	:	फार्म - A
<u>ANNEXURE IV</u>	:	भाव पत्र - B

नोट :-

- ई- निविदा ऑनलाईन वेब साईड <http://www.mptenders.gov.in> के माध्यम से आमंत्रित की जाती है।
- निविदा संबंधि विस्तृत शर्तें एवं अन्य जानकारी हेतु www.sanchidairy.com पर लॉगआन करें।
- जिन वाहन स्वामी के पास वाहन मॉडल 2022 या बाद के हैं वे वाहन स्वामी निविदा में भाग ले सकते हैं, साथ ही वाहन ठेकेदारों के पास वर्तमान में वाहन उपलब्ध नहीं वे वाहन क्रय करने का नोटरी से 200 रु. के मूल शपथ पत्र निविदा के साथ ऑनलाईन अपलोड करें।
- समस्त निविदाएँ या किसी एक निविदा को निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा। निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन या शुद्धि किये जाने पर वेबसाईट में ही परिवर्तन किया जायेगा अन्य किसी माध्यम में नहीं, अतः नियमित रूप से एमपीसीडीएफ की वेबसाईट www.sanchidairy.com पर देखें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड़ उज्जैन

(ANNEXURE-I)

संकलन परिवहन ई-निविदा प्रस्तुत करने हेतु निर्देश

01. ई-निविदा के साथ ईएमडी राशि रुपये 10,000.00 अक्षरी रु. (दस हजार) ऑनलाईन जमा करना होगी, बिना अर्नेस्टमनी जमा के निविदा को निरस्त (अमान्य) माना जावेगा।
02. प्रत्येक संकलन परिवहन मार्ग तथा वाहन के लिए अलग-अलग निविदा प्रस्तुत करना होगी।
03. इन शर्तों को दुग्ध संकलन परिवहन ठेके की शर्तें कहा जावेगा। शर्तों में जहाँ-जहाँ संघ शब्द आएगा, उसका तात्पर्य उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन माना जावेगा, डेरी का तात्पर्य उज्जैन डेयरी या शीत केन्द्र से आगर/शाजापुर/रतलाम/मंदसौर/शामगढ़/मनासा/आलोट होगा। समिति का तात्पर्य दुग्ध सहकारी समितियों से होगा।
04. निविदा में उल्लेखित दर में समस्त व्यय टोल टेक्स सहित सम्मिलित किये जावेंगे, निविदा की दर स्पष्ट शब्दों एवं अंकों में अलग-अलग प्रति कि.मी. लिखी जावे। किसी शर्त वाली निविदा को मान्य नहीं किया जावेगा।
05. किसी फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत करने पर वह फर्म भागीदारी कानून के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिये, इसका प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। फर्म के सभी भागीदारों के हस्ताक्षर होंगे, यदि किसी एक द्वारा ऐसा कार्य किया जाता है, तो निविदा के साथ मुख्यारनामा की फोटो कॉपी संलग्न करना अनिवार्य है।
06. निविदा स्वीकृत होने पर निविदा प्रस्तुतकर्ता को संघ द्वारा निर्धारित दिन एवं समय पर अनुबंध को रु. 1000.00 (रुपये एक हजार मात्र) के नॉनज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर एवं वाटर मार्क पेपर पर टाईप करवाकर, नोटरी करवाकर अनुबंध पर स्वयं के फोटो सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित समयावधि में अनुबंध प्रेषित नहीं किया जाता है, तो निविदा निरस्त कर दी जावेगी, तथा अमानत राशि जप्त कर ली जावेगी। अनुबंधकर्ता को निर्धारित दिन एवं समय पर प्रतिभूति राशि जो निर्धारित है आरटीजीएस/डीडी के माध्यम से जमा करना होगी। निर्धारित समयावधि में पूर्ण प्रतिभूति राशि जमा न करने की दशा में निविदा निरस्त कर दी जावेगी, साथ ही संपूर्ण अमानत राशि जप्त कर ली जावेगी।
07. प्रतिभूति राशि निम्नानुसार निर्धारित की गई है।

1. 0.6 से 0.8 टन भार क्षमता का वाहन	रुपये 50,000.00
2. 0.7 से 1 टन भार क्षमता का वाहन	रुपये 70,000.00
3. 1.2 से 1.5 टन भार क्षमता का वाहन	रुपये 1,00,000.00
08. अमानत/प्रतिभूति राशि पर दुग्ध संघ द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा।
09. संकलन वाहन में परिवहन के समय केन/डिब्बे/बोतल/जार में पानी/तेल/डीजल इत्यादि खाली बर्तन एवं अन्य सामग्री नहीं रखी जावेगी, यदि पाई जाती है तो एक दिवस के परिवहन देयक के बराबर राशि दण्ड स्वरूप काटी जावेगी, साथ ही यदि इस कारण दूध खराब हुआ तो दूध की हानि राशि भी द्वितीय पक्ष से काटी जावेगी।

10. दुग्ध संघ द्वारा निर्देशित किये गये दुग्ध संकलन मार्गों को बढ़ाने एवं घटाने का अधिकार दुग्ध संघ को रहेगा। यदि संभव हुआ तो दुग्ध संघ द्वारा मार्ग को अन्य मार्ग में परिवर्तन किया जाकर उस मार्ग की दुग्ध संस्था का परिवहन कार्य भी करवाया जा सकता है, इसी तरह जितनी भी दूरी घटे-बढ़े उसे निर्धारित दर से भाड़े का भुगतान किया जावेगा, साथ ही मार्ग की दुग्ध संस्थाओं को भी घटाया/बढ़ाया या परिवर्तित किया जा सकता है एवं नवीन दुग्ध संस्थाओं के गठन पर उनको भी उसमें शामिल या अन्य मार्गों में शामिल किया जा सकेगा जो कि वाहन ठेकेदार को मान्य होगा। यदि अनुबंधित दुग्ध मार्ग पर संकलन अत्यधिक कम हो जाता है तो अल्पकालीन सूचना पर मार्ग का संकलन स्थगित किया जा सकता है। संकलन वृद्धि पर पुनः मार्ग को प्रारंभ किया जा सकेगा। जितने दिन संकलन स्थगित रखा जाता है, उतने दिनों का वाहन ठेकेदार को कोई भुगतान नहीं किया जावेगा। साथ ही यदि अनुबंधित मार्ग पर संकलन कम हो जाता है तो संघ हित में मार्ग को शटल किया जाकर अन्य मार्ग से संबद्ध किया जा सकेगा। शटल मार्ग करने से दूरी कम होने पर भी अनुबंधित दर से ही जितना वाहन चलेगा उतनी दूरी का भुगतान किया जावेगा।
11. प्राकृतिक प्रकोप अथवा मानवीय कृत्यों (ऐसे कृत्या कृत्य जिनके लिये स्वयं द्वितीय पक्ष अथवा उनके प्रतिनिधि या उनकी ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार हों, को छोड़कर) जो द्वितीय पक्ष के काबू के बाहर हो, जैसे कारणों को छोड़कर वाहन के निश्चित समय पर नहीं आने की दशा में खराब होने वाले दुग्ध की हानि को खट्टा होने पर 50 प्रतिशत एवं फट्टा होने पर 70 प्रतिशत मूल्य का देनदार द्वितीय पक्ष रहेगा। उपरोक्त राशि उसी अवधि के देयक से काट ली जावेगी।
12. संकलन मार्ग पर बल्क मिल्क कूलर स्थापित किये जाने पर संकलन मार्ग के वाहन ठेकेदार को 01 माह पूर्व का नोटिस दिया जाकर वाहन बंद किया जा सकेगा।
13. दुग्ध समितियों में स्थापित बल्क मिल्क कूलर में अवरोध होने पर किसी भी वाहन को अनुबंधित दर पर उन बल्क मिल्क कूलर वाली समितियों में संकलन लाने हेतु भेजा जा सकेगा।
14. एक्सीडेंट या अन्य परिस्थितियों में ठेके के अंतर्गत कार्यरत वाहन या उसमें परिवहन की जाने वाली सामग्री अगर पुलिस द्वारा जप्त की जाती है, तथा दूध की नुकसानी होती है, तो ऐसी स्थिति में होने वाले नुकसान की पूर्ण जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी एवं क्षति की राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से वसूल की जा सकेगी।
15. संयंत्र/शीत केन्द्र में अवरोध होने पर संकलन वाहनों को निकट के अन्य संयंत्र/शीत केन्द्र पर अनुबंधित दर पर भेजा जा सकेगा।
16. अनुबंधकर्ता को प्रत्येक माह प्रति 15 दिवस का परिवहन देयक (दिनांक 01 से दिनांक 15 एवं दिनांक 16 से दिनांक 31 तक) निर्धारित प्रारूप पर बनाकर प्रस्तुत करना होगा, जिसमें ठेकेदार के नाम एवं पते की सील तथा पेन नं. होना आवश्यक होगा। परिवहन देयकों के भुगतान हेतु दिनांक 1 से दिनांक 15 तक का देयक द्वितीय पक्ष द्वारा दिनांक 18 तक संघ/संयंत्र में देना होंगे, जिसका भुगतान संभवतः आगामी माह की दिनांक 15 तक किया जावेगा, उसी प्रकार दिनांक 16 से दिनांक 31 तक का देयक आगामी माह की दिनांक

3 तक संघ/संयंत्र में प्रस्तुत करना होगा, जिसका भुगतान संभवतः आगामी माह की दिनांक 30/31 तक किया जावेगा।

यदि द्वितीय पक्ष द्वारा परिवहन देयक निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो भुगतान संबंधित समस्या हेतु द्वितीय पक्ष स्वतः जिम्मेदार होगा एवं देयक विलंबित के फलस्वरूप उत्पन्न आयकर अथवा अन्य किसी भी वैधानिक दायित्व की क्षतिपूर्ति प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष के देयकों से शास्ति एवं ब्याज सहित कटौती कर की जावेगी।

17. पृथक-पृथक मार्ग पर एक ही वाहन क्रमांक की निविदा प्राप्त होने पर तथा स्वीकृत होने पर संघ को यह अधिकार होगा कि वह जिस मार्ग की निविदा स्वीकृत करें, उसे प्रस्तुतकर्ता को मान्य करना होगा।
18. संघ के कार्य से संघ/संस्था के कर्मचारियों को आवश्यकता पड़ने पर वाहन में लाना एवं ले जाना होगा।
19. मुख्य कार्यपालन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि, बिना कारण बताये किसी भी निविदा या समस्त निविदाओं को अमान्य कर निरस्त कर दें।
20. संघ से प्रदत्त सामग्री के अतिरिक्त अन्य कोई भी सामान/सवारी दुग्ध वाहन में नहीं लाई जावेगी यदि ऐसा करते हुए किसी दिन पाया जाता है तो संघ जो दण्ड करेगा वह द्वितीय पक्ष को मान्य होगा यह दण्ड अधिकतम उसी पाली के परिवहन देयक से अधिक नहीं होगा। यदि ऐसा दण्ड करने की एक बार से अधिक बार करने की नौबत आई, तो संघ को अधिकार होगा कि, वह इस अनुबंध को उक्त कारण से निरस्त कर वाहन संचालन बंद कर दें, तथा हानि की वसुली कर जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर आगामी दो वर्षों तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दे।
21. निविदा स्पष्ट/पूर्ण भरी होना चाहिए। अस्पष्ट, कटी-फटी निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार संघ को होगा।
22. संघ द्वारा समय सारणी का निर्धारण सामान्यतः 50 कि.मी. प्रति घंटे की रफ्तार से किया जावेगा, तथा प्रत्येक पाइन्ट हेतु तीन से पाँच मिनट का समय दूध उठाने तथा खाली केन प्रदाय करने एवं आवश्यक सामग्री देने/ट्रक शीट की पूर्ति हेतु दिया जावेगा। विशेष परिस्थितियों में संघ द्वारा गति सीमा घटाई/बढ़ाई जा सकती है।
23. निविदाकार को अपने नाम से ही पंजीकृत वाहन के उपयोग हेतु ही निविदा प्रस्तुत करना होगी, निविदा के साथ वाहन के रजिस्ट्रेशन की फोटो कॉपी तथा स्थाई लेखा संख्या पेन नम्बर संलग्न करना होगा तथा निविदा स्वीकृत होने पर मूल पंजीयन प्रमाण-पत्र से सत्यापित कराना होंगे।
24. द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने या असंतोषजनक कार्य करते रहने या वाहन बंद करने अथवा संघ द्वारा आदेशित निर्देशों का पालन न करने की दशा में प्रथम पक्ष को अधिकार रहेगा कि वह इस अनुबंध को निरस्त कर प्रतिभूति की राशि जप्त कर लें। इसके अतिरिक्त यदि इस कारण प्रथम पक्ष को कोई हानि होती है, तो वह भी द्वितीय पक्ष के देयक से वसूल कर लें।

25. निविदा स्वीकृत होने पर निविदा प्रस्तुतकर्ता को अपना वाहन निरीक्षण हेतु निर्धारित दिनांक एवं समय पर लाना होगा।
26. निविदा प्रस्तुतकर्ता यदि जानबुझकर निविदा प्रपत्र में गलत जानकारी देता है, तो संघ को यह अधिकार होगा कि जमा अमानत की राशि जप्त कर लें।
27. अमानत की राशि वापस प्राप्त करने हेतु निविदा प्रस्तुतकर्ता को निविदा में जमा अमानत राशि की एम.आर. अधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होंगे।
28. उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित उज्जैन में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी/संचालक मण्डल के सदस्यों के सगे संबंधी जैसे पति, पत्नि, पुत्र, पुत्री, माता, पिता को निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी। वाहन ठेकेदार को इस बाबत पृथक से शपथ-पत्र अनुबंध के साथ प्रस्तुत करना होगा।
29. अनुबंधित वाहन पर ड्रायवर एवं क्लीनर अनुबंधकर्ता द्वारा नियुक्त उसके स्वयं के निजी कर्मचारी होंगे, तथा इन कर्मियों के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम एक्ट या कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम अथवा अन्य कोई इसी प्रकार के अधिनियमों के अंतर्गत होने वाली जिम्मेदारी का दायित्व अनुबंधकर्ता का होगा एवं इसका रिकार्ड तथा कटौती का लेखा जोखा वाहन ठेकेदार को ही रखना होगा।
30. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 या अन्य वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक होने पर लाईसेन्स प्राप्त करने का उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। अनुबंध प्रारंभ होने के एक माह में लाईसेन्स प्राप्त कर उसकी छायाप्रति संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी।
31. द्वितीय पक्ष हड़ताल/कार्यबन्दी नहीं करेगा एवं न ही इसमें भाग लेगा यदि द्वितीय पक्ष ऐसा करता है तो उससे होने वाली हानि एवं प्रथम पक्ष द्वारा जो भी दण्ड किया जावेगा, उसके लिये द्वितीय पक्ष जवाबदार रहेगा। साथ ही प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि इस कारण से प्रथम पक्ष का अनुबंध निरस्त कर दे एवं प्रतिभूति राशि राजसात कर लेवें।
32. प्रथम पक्ष को 30 दिन की पूर्व सूचना पर बिना कारण बताएँ अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा, परन्तु उनके वाहन में नियुक्त कर्मचारियों के अवैधानिक अथवा अपराधिक कार्यों में सन्निहित होने की दशा में पुष्टि होने पर बिना पूर्व सूचना के अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा और इन परिस्थितियों में संघ द्वारा किसी प्रकार की पूर्व सूचना नहीं दी जावेगी। द्वितीय पक्ष द्वारा इस अनुबंध पत्र की शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अधिकार होगा कि वे बिना पूर्व सूचना दिये इस इकरार नामा को निरस्त कर दे एवं अनुबंध पत्र निरस्त करने की दशा में संघ को जो हानि होगी, उसकी समस्त जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

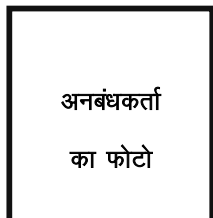
33. वाहन ठेकेदार को वाहन अनुबंध प्रारंभ होने के 1 माह के अंदर संघ द्वारा निर्धारित प्रारूप में संघ उत्पादों का विज्ञापन अनुबंधित वाहन पर लिखवाना होगा। यदि वाहन ठेकेदार द्वारा वाहन पर निर्धारित अवधि में विज्ञापन नहीं लिखवाया जाता है तो संघ द्वारा विज्ञापन लिखवाया जावेगा, एवं उसका समस्त व्यय वाहन ठेकेदार से काटा जावेगा।
34. दुग्ध संकलन परिवहन के अनुबंधित वाहनों पर पीछे हुड़ पर अनुबंध अवधि में बांस का टट्टर एवं उस पर त्रिपाल आवश्यक रूप से लगी होना चाहिये। अन्यथा अनुबंध की शर्तों के अनुरूप आर्थिक दण्ड किया जावेगा एवं इससे होने वाली अन्य हानियों का कटौती भी किया जावेगा।
35. वाहन का स्पीडो मीटर एवं सेल्फ स्टार्टर हमेशा चालू रहेगा, यदि खराब हो जाता है, तो 24 घंटों में पुनः द्वितीय पक्ष द्वारा सुधरवाया जावेगा।
36. अनुबंधित वाहन में ईंधन के रूप में डीजल, पेट्रोल या सी.एन.जी. का ही प्रयोग किया जावेगा। ईंधन के रूप में अन्य कोई घासलेट, मिलावट डीजल का उपयोग वर्जित माना जावेगा।
37. आयकर विभाग से यदि स्थाई लेखा संख्या नम्बर है तो संघ को प्रस्तुत करना होगा। स्थायी लेखा संख्या नं. (पेन नं.) प्रस्तुत न करने पर आयकर अधिनियम अनुसार टैक्स का कटौती किया जावेगा।
38. वर्ष 2022 या उसके बाद के पंजीकृत वाहन हेतु ई-निविदा प्रस्तुत की जावे।
39. परिस्थिति वश अथवा आवश्यकता होने पर प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि, वह इस अनुबंध में यदि कोई नई शर्त को और सम्मिलित करना चाहे तो ऐसी शर्त पर परस्पर चर्चा कर जो निर्णय लिया जावेगा, वह द्वितीय पक्ष को मान्य होगा।
40. जिन वाहन/वाहन ठेकेदारों को काली सूची में दर्ज किया गया है, वह ई-निविदा में अपात्र होंगे।
41. यदि कोई वाहन ठेकेदार जिसके पास वर्तमान में वाहन उपलब्ध नहीं हो एवं वह निविदा स्वीकृति उपरान्त निर्धारित अवधि में नया वाहन उपलब्ध करा सकता है तो इस बाबद शपथ-पत्र प्रस्तुत कर निविदा भर सकता है। निर्धारित अवधि में वाहन उपलब्ध न कराने पर आपकी जमा अर्नेस्टमनी राजसात की जावेगी।
42. द्वितीय पक्ष तथा प्रथम पक्ष के बीच मतभेद होने पर जो निर्णय संघ के अध्यक्ष द्वारा किया जावेगा वह द्वितीय पक्ष को मान्य होगा। सहमति न होने पर मध्यस्थता अधिनियम के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
43. समस्त निवादों हेतु न्यायालयीन क्षेत्र उज्जैन रहेगा।

44. निविदाकार द्वारा यदि अत्यधिक कम (अव्यवहारिक दरें प्राप्त होने की स्थिति में) दरें दी गई हैं तो वह मान्य नहीं होगी तथा निविदा निरस्त की जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।
45. यदि पूर्व में किसी वाहन ठेकेदार को प्रतिबंधित (ब्लैक लिस्टेड) किया गया है, तो वह निविदा नहीं भर सकता यदि उसके द्वारा निविदा प्रस्तुत की गई है तो उस पर विचार नहीं किया जावेगा, एवं जमा अर्नेस्टमनी राजसात की जा सकेगी।
46. यह ठेका अवधि दिनांक 01.09.2026 से दिनांक 31.08.2029 तक की होगी। (जिसे आपसी सहमति से 2 वर्ष (एक-एक वर्ष करके) और बढ़ाया जा सकता है) यह वृद्धि पूर्णतः कार्य के संतोषप्रद रहने पर ही होगी।
47. स्थानीय, मध्यप्रदेश शासन, भारत शासन द्वारा जो भी कर लागू किये जावें, वह द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से काट लिये जावें एवं उसकी सूचना प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को दी जायेगी।
48. वाहन के कि.मी. का सत्यापन दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित रूट एवं लेटीट्यूट/लॉन्जीट्यूट के आधार पर ही मान्य किया जावेगा।
49. दुग्ध से भरे केनो की अधिकतम क्षमता निम्नानुसार होगी।
- | | |
|----------------------------------|--------|
| 0.6 से 0.8 टन भार क्षमता का वाहन | 20 केन |
| 0.7 से 1 टन भार क्षमता का वाहन | 25 केन |
| 1.2 से 1.5 टन भार क्षमता का वाहन | 40 केन |
- अनुबंधित वाहन में उक्त उपरोक्त क्षमता से अधिक केन आने पर प्रति पाली रूपये 5.00 प्रति केन का अतिरिक्त भुगतान किया जावेगा।
50. स्वीकृत दरें अनुबंध समाप्ति तक मान्य रहेगी, भारत सरकार द्वारा डीजल की दरों में प्रतिदिन भाव तय किये गये हैं अतः प्रत्येक माह की दिनांक 01 से 15 तक के प्रतिदिन की डीजल दरों की औसत दर के आधार पर आगामी प्रत्येक माह की दिनांक 16 से 30/31 तक की औसत दर प्रभावशील रहेगी तथा दिनांक 16 से 30/31 के डीजल की दरों की औसत के आधार पर आगामी माह की दिनांक 01 से 15 तक की डीजल की औसत दरें प्रभावशील रहेगी। लेकिन अनुबंध अवधि में यदि डीजल दरों में कमी/वृद्धि होती है, तो ही अनुबंधित दर में कमी/वृद्धि की जावेगी दर में कमी/वृद्धि की गणना निम्नानुसार की जावेगी।
- | क्रमांक | वाहन का प्रकार | औसत प्रति लीटर |
|---------|----------------------|----------------------------------|
| 01. | 0.6 से 0.8 टन क्षमता | 21 कि.मी. पेट्रोल/34 कि.मी. डीजल |
| 02. | 0.7 से 1 टन क्षमता | 22 कि.मी. |
| 03. | 1.2 से 1.5 टन क्षमता | 15 कि.मी. |

इस प्रकार औसत प्रति कि.मी. पर डीजल दर वृद्धि/कमी से राशि की गणना तदनुसार वाहन की दर में वृद्धि/कमी दिनांक से प्रति कि.मी. कमी/वृद्धि की जावेगी। डीजल के अतिरिक्त स्पेयर्स पार्ट्स, आईल तथा टायर ट्यूब आदि की दरों में वृद्धि होने पर अनुबंध दरों में वृद्धि नहीं की जावेगी।

51. विशेष परिस्थितियों में अनुबंधित वाहन के स्थान पर कम भार क्षमता का वाहन चलाया जाने पर अनुबंधित दर में 20 प्रतिशत का कटौती किया जावेगा किन्तु वाहन ठेकेदार को मार्ग का समस्त संकलित दूध लाना अनिवार्य होगा। अनुबंधित वाहन खराब या दुर्घटनाग्रस्त होने पर प्रथम पक्ष द्वारा वर्ष में अधिकतम 02 माह हेतु वैकल्पिक समान भार क्षमता का वाहन से दुग्ध संकलन परिवहन कार्य करने की अनुमति दी जा सकेगी, यदि इस अवधि में पुनः वाहन ठेकेदार द्वारा अनुबंधित क्षमता का वाहन नहीं लगाया जाता है, तो उसका अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात करने की कार्यवाही की जावेगी।
52. द्वितीय पक्ष (वाहन ठेकेदार) अनुबंध अवधि में अनुबंध हस्तांतरित नहीं कर सकेगा द्वितीय अनुबंध अवधि के मध्य अनुबंध अन्य वाहन ठेकेदार को हस्तांतरित करता है, तो अनुबंध निरस्त की कार्यवाही की जाकर प्रतिभूति राशि राजसात करने का अधिकार प्रथम पक्ष (दुग्ध संघ) को होगा साथ ही यदि द्वितीय पक्ष (वाहन ठेकेदार) अनुबंध अवधि में अपना वाहन आगे नहीं संचालित करना चाहता है, तो न्यूनतम तीन माह पूर्व सूचना प्रथम पक्ष (दुग्ध संघ) को देना अनिवार्य होगा। प्रथम पक्ष द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था करने के उपरांत या सूचना दिनांक से तीन माह की अवधि जो भी पहले हो उक्त दिनांक से प्रथम पक्ष (दुग्ध संघ) द्वारा दुग्ध संकलन वाहन बंद किया जा सकेगा।
53. दुग्ध परिवहन हेतु अनुबंधित वाहन में जी.पी.एस. सिस्टम (GPS System) द्वितीय पक्ष को स्वयं के व्यय से लगवाना अनिवार्य होकर उसे चालू स्थिति में रखने की समस्त जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी। यदि जी.पी.एस. सिस्टम खराब होता है, तो उसे स्वयं के व्यय से 24 घण्टे में रिपेयर करवाकर चालू करना अनिवार्य रहेगा, ऐसा नहीं करने पर प्रतिदिन 100/- की पेनल्टी लगाई जावेगी। लगातार जी.पी.एस. सिस्टम खराब रहने पर अनुबंध निरस्ती की कार्यवाही की जा सकेगी तथा ऐसे वाहन ठेकेदार को आगामी दो वर्ष तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित भी किया जा सकेगा।
54. दुग्ध संकलन वाहन को डेयरी डाक/बीएमसी डाक पर दुग्ध संघ द्वारा दिया गया आने का सुबह/शाम का समय पर आना होगा यदि दुग्ध संकलन वाहन विलंब से आता है तो दिया गया निर्धारित समय से प्रथम 15 मिनट की छूट के पश्चात् यदि वाहन 15 मिनट तक लेट होता है, तो प्रथम 15 मिनट का रु. 500/- विलंब शुल्क का कटौती किया जावेगा, यदि आपके द्वारा बार-बार दुग्ध संकलन वाहन को डेयरी डाक/बीएमसी डाक पर विलंब से लाया जाता है, तो अनुबंध निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी।

दुग्ध संघ एवं दुग्ध संकलन परिवहन निविदाकार के मध्य दुग्ध संकलन परिवहन हेतु किये जाने वाले अनुबंध का प्रारूप



1000/—रु. के नानज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध किया जाए।

/// अनुबंध पत्र ///

यह अनुबंध पत्र आज दिनांक को निष्पादित किया गया, जिसका द्वितीय पक्ष (निविदाकार) श्री/श्रीमती निवासी एवं उत्तराधिकारी श्री/श्रीमती से है एवं प्रथम पक्षकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ उज्जैन अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी है।

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन द्वारा गठित दुग्ध सहकारी समितियों के संग्रहस्थल से दुग्ध केन ढक्कन सहित एवं सामग्री आर.एम.आर.डी. दुग्ध संयंत्र/दुग्ध शीत केन्द्र के दुग्ध संकलन मार्ग से दुग्ध संयंत्र/शीत केन्द्र तक एवं आर.एम.आर.डी. दुग्ध संयंत्र/दुग्ध शीत केन्द्र से खाली केन ढक्कन सहित एवं सामग्री संस्था तक पहुँचाने हेतु परिवहन करने वास्ते द्वितीय पक्षकार वाहन का पंजीयन क्रमांक से प्रथम पक्षकार (उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित उज्जैन) द्वारा निर्धारित समय पर वाहन परिवहन हेतु आवेदन किया है और प्रथम पक्षकार ने इसमें आगे लिखे गये निबंधनों एवं शर्तों पर द्वितीय पक्षकार का आवेदन परिवहन दर रुपये अक्षरी रुपये प्रति कि.मी.(समस्त कर सहित)/प्रतिट्रिप पर दुग्ध संकलन/बीएमसी शटल परिवहन मार्ग पर अग्रलिखित समस्त शर्तों के अनुसार अनुबंध किया जाता है।

अनुबंधकर्ता को अनुबंध पत्र पर स्वयं के पासपोर्ट साईज का फोटो सहित नोटरी करवाकर प्रस्तुत करना होगा। अनुबंध की शर्तें उभय पक्षों को मान्य होगी। दुग्ध संकलन मार्गों पर भविष्य में यदि टोल टेक्स प्रारंभ होता है, तो टोल टेक्स की वास्तविक रसीदों की प्राप्ति पर संघ द्वारा अतिरिक्त भुगतान देयकों के साथ किया जावेगा।

01. (अ) यह ठेका अवधि दिनांक से दिनांक तक प्रभावशील रहेगी।
 (ब) अनुबंध अवधि में संतोषजनक कार्य होने की स्थिति में दोनों पक्षों की सहमति होने पर एक-एक कर अधिकतम दो वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है। यह वृद्धि पूर्णतः कार्य के संतोषप्रद रहने पर ही होगी।

02. इन शर्तों को दुग्ध संकलन परिवहन ठेके की शर्तें कहा जावेगा। शर्तों में जहाँ-जहाँ संघ शब्द आएगा, उसका तात्पर्य उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन माना जावेगा, डेरी का तात्पर्य उज्जैन डेयरी या शीत केन्द्र से आगर/शाजापुर/रतलाम/मंदसौर/शामगढ़/मनासा/आलोट होगा। समिति का तात्पर्य दुग्ध सहकारी समितियों से होगा।
03. प्रतिदिन सुबह एवं शाम को निर्धारित समय पर धुले हुये खाली केन ढक्कन सहित संस्थाओं में पहुँचाने एवं दुग्ध से भरे केन ढक्कन सहित डेरी/दुग्ध शीत केन्द्र तक लाने की जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी। इस हेतु प्रथम पक्ष द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार दी गई निर्धारित समय सारणी द्वितीय पक्ष को मान्य होगी, मार्ग पर किसी संस्था का दुग्ध न लाने की दशा में द्वितीय पक्ष को कारण सहित लिखित में सूचना प्रथम पक्ष को उसी दिन/पाली में देनी होगी इस प्रकरण की जाँच करने पर प्रथम पक्ष का निर्णय अंतिम होगा एवं द्वितीय पक्ष को मान्य होगा।
- अधिकतम 50 किलो मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समय सारणी निर्धारित की जाकर प्रत्येक पाईट से दूध उठाने एवं खाली केन एवं सामग्री प्रदाय हेतु प्रति पाईट 3 से 5 मिनट समय दिया जावेगा। विशेष परिस्थितियों में संघ द्वारा गति सीमा घटाई/बढ़ाई जा सकेगी।
- केन एवं ढक्कन की प्राप्ति एवं प्रदाय की मात्रा का हिसाब द्वितीय पक्ष को रखना होगा संस्थाओं में केन एवं ढक्कन बदलने की दशा में अथवा गुम होने की दशा में द्वितीय पक्ष को एक सप्ताह के अंदर निराकरण करना होगा, अन्यथा केन व ढक्कन की कीमत परिवहन बिल से काट ली जावेगी, एवं किया गया कटौती वापस नहीं किया जावेगा।
04. प्रथम पक्ष द्वारा संस्था को दिये जाने वाले सभी सामान जैसे पशुआहार, घी, मिनरल मिक्सचर, कॉफ स्टार्टर, चारा बीज, घी टीन/पेकेट, संस्थाओं को लगने वाला मिल्कोटेस्टर, टेस्टिंग सामान एवं स्टेशनरी आदि सामान समितियों को भेजा जाता है, इसका लेखा-जोखा द्वितीय पक्ष को रखना होगा एवं सामान अगली पाली में समिति तक पहुंचाना होगा। वाहन ठेकेदार को संबंधित समिति को सामान पहुंचाकर प्राप्ति रसीद तीन दिवस में कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी, अन्यथा इसकी राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से काटी जावेगी एवं काटी गई राशि किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जावेगी, तथा लगातार तीन बार शिकायतें रहती हैं तो वाहन बंद कर जमा अमानत राशि राजसात की जावेगी एवं आगामी दो वर्षों तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।
05. यदि किसी कारण से संकलन बंद रखा जाता है और प्रथम पक्ष द्वारा इसकी सूचना दी जाती है, तो द्वितीय पक्ष को उन पालियों का कोई भाडा देय नहीं होगा।
06. निर्धारित समय से संस्थाओं का दूध डेरी तक लाने की पूरी जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी। किसी भी कारण से वाहन खराब होने पर दूसरी समान क्षमता के वाहन की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करना होगी, किसी भी दशा में डेरी पर वाहन के समय पर नहीं पहुँचने की स्थिति में दूध खराब होने पर जो हानि होगी वह कंडिका 08 अनुसार द्वितीय पक्ष से वसूल की जावेगी। अनुबंधित वाहन परिवर्तित करने पर उसी क्षमता का वाहन दुग्ध संकलन हेतु प्रथम पक्ष की अनुमति से चलाना होगा, अन्यथा क्षमता अनुसार परिवहन देयक का न्यूनतम दर से भुगतान किया जावेगा, साथ ही यदि किसी दिन द्वितीय पक्ष द्वारा दुग्ध संकलन हेतु वाहन

नहीं भेजा जाता है, एवं प्रथम पक्ष को व्यवस्था कर वाहन भेजना पड़ता है इससे खट्टे/फट्टे दूध एवं दर अंतर की जो भी हानि होगी, वह भी द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक/प्रतिभूति राशि में से काटी जा सकेगी।

07. संकलन वाहन में परिवहन के समय केन/डिब्बे/बोतल/जार में पानी/तेल/डीजल इत्यादि खाली बर्तन एवं अन्य सामग्री नहीं रखी जावेगी, यदि पाई जाती है तो एक दिवस के परिवहन देयक के बराबर राशि दण्ड स्वरूप काटी जावेगी, साथ ही यदि इस कारण दूध खराब हुआ तो दूध की हानि राशि भी द्वितीय पक्ष से काटी जावेगी।
08. प्राकृतिक प्रकोप अथवा मानवीय कृत्यों (ऐसे कृत्या कृत्य जिनके लिये स्वयं द्वितीय पक्ष अथवा उनके प्रतिनिधि या उनकी ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार हों, को छोड़कर) जो द्वितीय पक्ष के काबू के बाहर हो, जैसे कारणों को छोड़कर वाहन के निश्चित समय पर नहीं आने की दशा में खराब होने वाले दुग्ध की हानि को खट्टा होने पर 50 प्रतिशत एवं फट्टा होने पर 70 प्रतिशत मूल्य का देनदार द्वितीय पक्ष रहेगा। उपरोक्त राशि उसी अवधि के देयक से काट ली जावेगी।
09. क्रमांक 08 में उल्लेखित प्राकृतिक प्रकोप/द्वितीय पक्ष के काबू के बाहर के मानवीय कृत्य, कृत्यों का पंचनामा बनाकर द्वितीय पक्ष द्वारा उसी पाली के कार्यकाल में प्रस्तुत किया जावेगा। इसके लिए दुग्ध संघ के अधिकृत प्रतिनिधि के सत्यापन होने पर कार्यालयीन कार्यवाही के उपरांत काटी गई राशि द्वितीय पक्ष को वापिस की जा सकेगी।
10. एक्सीडेंट या अन्य परिस्थितियों में ठेके के अंतर्गत कार्यरत वाहन या उसमें परिवहन की जाने वाली सामग्री अगर पुलिस द्वारा जप्त की जाती है, तथा दूध की नुकसानी होती है, तो ऐसी स्थिति में होने वाले नुकसान की पूर्ण जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी एवं क्षति की राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से वसूल की जा सकेगी।
11. वाहन हेतु डीजल, पेट्रोल की व्यवस्था का उत्तरदायित्व पूर्णतः द्वितीय पक्ष का रहेगा यदि डीजल एवं पेट्रोल के अभाव में दुग्ध संकलन नहीं किया जाता या वाहन देरी से भेजा जाता है, तो इससे समिति/संघ को होने वाली हानि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से काटी जा सकेगी। अनुबंधित वाहन में शासन के नियमों का पालन करते हुए ईंधन के रूप में डीजल एवं पेट्रोल का ही प्रयोग किया जावेगा। यदि वाहन ठेकेदार द्वारा घासलेट या मिलावटी डीजल से वाहन चलाया जाता है, एवं शासन या अन्य संस्था द्वारा जांच में डीजल के स्थान पर घासलेट या मिलावटी डीजल पाया जाता है एवं इस कारण शासन द्वारा वाहन जप्त किया जाता है, तो वाहन ठेकेदार को संकलन के लिये अन्य वाहन की व्यवस्था करना होगी। यदि संघ स्तर से वाहन व्यवस्था स्थानीय बाजार से की जाती है, तो उसमें होने वाले अतिरिक्त व्यय की वसूली द्वितीय पक्ष से की जावेगी तथा अनुबंध समाप्त एवं प्रतिभूति राजसात की कार्यवाही भी की जा सकेगी।
12. द्वितीय पक्ष अथवा उसके प्रतिनिधि के अनुपस्थित रहने की दशा में दूध का जो भी परीक्षण परिणाम होगा वह द्वितीय पक्ष को मान्य होगा।
13. संघ के कार्य से संघ/संस्था के कर्मचारियों को आवश्यकता पड़ने पर वाहन में लाना एवं ले जाना होगा।

14. संघ से प्रदत्त सामग्री के अतिरिक्त अन्य कोई भी सामान/सवारी दुग्ध वाहन में नहीं लाई जावेगी यदि ऐसा करते हुए किसी दिन पाया जाता है तो संघ जो दण्ड करेगा वह द्वितीय पक्ष को मान्य होगा यह दण्ड अधिकतम् उसी पाली के परिवहन देयक से अधिक नहीं होगा। यदि ऐसा दण्ड करने की एक बार से अधिक बार करने की नौबत आई, तो संघ को अधिकार होगा कि, वह इस अनुबंध को उक्त कारण से निरस्त कर वाहन संचालन बंद कर दें, तथा हानि की वसुली कर जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर आगामी दो वर्षों तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दे।
- 15.(अ) पशुआहार ले जाने पर प्रति बेग (मात्रा 50 किलो) रुपये 5.00 (पांच रुपये) परिवहन संघ द्वारा दिया जावेगा। समिति पाईन्ट पर उतारने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी। पिकअप या छोटे वाहन में समितियों की मांग अनुरूप पशुआहार ले जाना आवश्यक होगा। घी 15 लीटर टीन/16 लीटर कार्टून का दुग्ध संघ द्वारा अनुमोदित दर पर वास्तविक भुगतान संघ द्वारा किया जावेगा, मिनरल मिक्सचर 20 किलो पैकिंग एवं 50 किलो पैकिंग का दुग्ध संघ द्वारा अनुमोदित दर पर वास्तविक भुगतान किया जावेगा।
- (ब) पशुआहार/घी/मिनरल मिक्सचर के अलावा अन्य सामग्री जो परिवहन होगी, उसका कोई भाड़ा देय नहीं होगा, जिसमें मार्ग में नई खोली जाने वाली समितियों का सामान भी सम्मिलित होगा, साथ ही बंद समितियों का सामान वापस लाया जावेगा। उक्त सामान लाने एवं ले जाने में सावधानी रखी जावेगी यदि असावधानी से कोई नुकसान होगा तो द्वितीय पक्ष की जिम्मेदारी रहेगी, एवं हानि होने पर द्वितीय पक्ष के देयक से काटी जा सकेगी।
- (स) संघ द्वारा समितियों को प्रदाय हेतु दिये गये पशुआहार से यदि संस्था पर पशुआहार कम उतारा जाता है तो संघ को अधिकार होगा कि कम उतारे गये पशुआहार की राशि एवं साथ ही रुपये 100.00 प्रति बेग की दर से अर्थदण्ड वसूल कर ले।
- (द) पशुआहार वितरण के लिये दिये गये निर्देशों की अवहेलना करने पर द्वितीय पक्ष से प्रतिदिन प्रति बेग रु. 100.00 प्रतिदिन के हिसाब से आर्थिक दण्ड वसूल किया जा सकेगा। इसके पश्चात् भी पशुआहार नहीं ले जाने पर संघ द्वारा अलग से वाहन द्वारा पहुँचाया जावेगा, जिसका वास्तविक परिवहन व्यय द्वितीय पक्ष के देयक से काटा जावेगा।
16. संघ द्वारा निर्देशित रीति से प्रदत्त ट्रक शीट अनिवार्यतः भरवाने का कार्य द्वितीय पक्ष द्वारा किया जावेगा। डिलेवरी चालान ट्रक शीट के साथ प्रस्तुत किया जावेगा। ऐसा न करने पर समितियों से प्राप्त शिकायतें द्वितीय पक्ष को मान्य होगी तथा ऐसी हानि द्वितीय पक्ष के देयक से वसुली योग्य होगी। मार्ग की उन समितियों पर जहाँ पर सीधे वाहन लगाया जाता है ऐसी समितियों की केन संख्या एवं समय की जानकारी समिति कर्मचारियों से पूरी कराई जावेगी। समिति की खाली केन दुग्ध से भरी केन चढ़ाते समय ही प्रदाय की जावेगी यदि ऐसा नहीं किया जाता है एवं केन बीच में उतारता हैं तो इससे होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करने का उत्तर दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा तथा दुरुपयोग पर आर्थिक दण्ड किया जा सकेगा।
- (अ) द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन पर जो कर्मचारी नियुक्त किये जावेंगे वे संघ के निर्देशानुसार कार्य करेंगे तथा उनके कृत्या कृत्य के लिये प्रथम पक्ष जिम्मेदार नहीं होगा। द्वितीय पक्ष जो भी कर्मचारी वाहन संचालन हेतु रखेगा। उनके संबंध में समस्त वैधानिक नियमों का पालन करने

- की जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी। इनके द्वारा लापरवाही/अनियमितता अथवा अभद्र व्यवहार करने की दशा में संघ के आदेशानुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही करना होगी।
- (ब) द्वितीय पक्ष या उसके प्रतिनिधि द्वारा संघ के संचालक मण्डल के सदस्यों/संघ अधिकारियों/कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार किया जाता है, तो संघ को अधिकार रहेगा कि आर्थिक दण्ड से दण्डित करे या द्वितीय पक्ष का अनुबंध निरस्त कर दें तथा आगामी 2 वर्षों तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दे।
17. द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध की शर्तों का निरंतर उल्लंघन करने या असंतोषजनक कार्य करते रहने या वाहन बंद करने अथवा संघ द्वारा आदेशित निर्देशों का पालन न करने की दशा में प्रथम पक्ष को अधिकार रहेगा कि वह इस अनुबंध को निरस्त कर प्रतिभूति की राशि जप्त कर लें। इसके अतिरिक्त यदि इस कारण प्रथम पक्ष को कोई हानि होती है, तो वह भी द्वितीय पक्ष के देयक से वसूल कर लें।
18. अनुबंध समाप्ति के पश्चात् राशि वापस प्राप्त करने के लिये समिति द्वारा प्रदत्त बकाया नहीं के प्रमाण पत्र, जो कि मार्गपर्यवेक्षक से सत्यापित कर प्रस्तुत होंगे, प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि, ऐसे समस्त वसूली योग्य राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक तथा प्रतिभूति राशि से कटौती कर लें। यदि कटौती शेष रहता है, तो वसूली हेतु शासन के नियम अनुसार राशि वसूल करने की कार्यवाही की जावेगी एवं परिवहनकर्ता को कालीसूचीबद्ध भी किया जा सकेगा। कालीसूचीबद्ध किये जाने में वाहन ठेकेदार सहित वाहन एवं वाहन परिचालन हेतु वाहन के संबंधित कर्मचारियों को कालीसूचीबद्ध किया जा सकेगा। यदि एक ही वाहन मालिक के दुग्ध संघ के अन्य दुग्ध संकलन मार्गों पर भी वाहन चल रहे तो उन्हें भी कालीसूचीबद्ध किया जा सकेगा।
19. संघ द्वारा निर्देशित किये गये दुग्ध संकलन मार्गों को बढ़ाने एवं घटाने का अधिकार संघ को रहेगा। यदि संभव हुआ तो संघ द्वारा मार्ग को अन्य मार्ग में परिवर्तन किया जाकर उस मार्ग की दुग्ध संस्था का परिवहन कार्य भी करवाया जा सकता है इसी तरह जितनी भी दूरी घटे-बढ़े उसे स्वीकृत दर से भाड़े का भुगतान किया जावेगा। साथ ही मार्ग की दुग्ध संस्थाओं को भी घटाया/बढ़ाया या परिवर्तित किया जा सकता है एवं नवीन दुग्ध संस्थाओं के गठन पर उनको भी इसमें शामिल या अन्य मार्गों में शामिल किया जा सकेगा, जो कि वाहन ठेकेदार को मान्य होगा। यदि अनुबंधित दुग्ध मार्ग पर संकलन अत्यधिक कम हो जाता है तो अल्पकालीन सूचना पर मार्ग का संकलन स्थगित किया जा सकता है। संकलन वृद्धि पर पुनः मार्ग को प्रारंभ किया जा सकेगा। जितने दिन संकलन स्थगित रखा जाता है, उतने दिनों का वाहन ठेकेदार को कोई भुगतान नहीं किया जावेगा। साथ ही यदि अनुबंधित मार्ग पर संकलन कम हो जाता है तो संघ हित में मार्ग को शटल अथवा बंद किया जाकर अन्य मार्ग से संबद्ध किया जा सकेगा। शटल मार्ग करने से दूरी कम होने पर भी अनुबंधित दर से ही जितना वाहन चलेगा उतनी दूरी का भुगतान किया जावेगा।
20. अनुबंधित वाहनों पर पीछे हुड पर अनुबंध अवधि में बांस का टट्टर एवं उस पर त्रिपाल आवश्यक रूप से लगी होना चाहिये अन्यथा वाहन निर्धारित समय या समय से पूर्व आने पर भी खट्टे/फट्टे दुध की हानि राशि द्वितीय पक्ष के देयक से काटी जावेगी एवं आर्थिक दंड भी किया जावेगा तथा इससे होने वाली अन्य हानियों का कटौती भी द्वितीय पक्ष के देयक से किया जा सकेगा। अनुबंधित वाहन में पीछे की ओर बिजली का बल्ब चालु हालत में रहेगा,

जिससे खाली केनो को गिनने में कोई दिक्कत न हो। इसी प्रकार संघ की सूचना पर दूध से भरे केनो पर पानी छिड़कने की व्यवस्था भी द्वितीय पक्ष को करना होगी। ऐसा न करने पर जो हानि होगी, उसका दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

21. यदि चैकिंग के दौरान अथवा इस संबंध में प्राप्त शिकायतों की जाँच करने पर पाया जाता है कि, वाहन कर्मचारी दूध में गड़बड़ी, हेराफेरी, केन से दूध निकालने, दूध का विक्रय करते हुए, वाहन से दूध से भरे हुए जार/बोतल या दूध पीते हुए पाये जाते हैं या किसी भी प्रकार की अनियमितताएँ करते पाये जाते हैं, मार्ग में पड़ने वाली सभी समितियों को ठेके की अवधि में यदि दूध में कमी आई है और इससे संस्थाओं को एवं संघ को जो हानि हुई है उसका देनदार द्वितीय पक्ष रहेगा। चोरी किये गये दूध की कीमत के अतिरिक्त 100% पेनल्टी लगाई जावेगी। यह राशि द्वितीय पक्ष के देयक से वसूली योग्य रहेगी तथा द्वितीय पक्ष का अनुबंध निरस्त करने एवं प्रतिभूति राशि जप्त करने का अधिकार भी प्रथम पक्ष को होगा तथा आगामी दो वर्षों तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।
22. वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध सहकारी/सरकारी कानून अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी एवं यदि इस कारण से संघ/संस्थाओं को कोई हानि होगी तो उसका जवाबदार द्वितीय पक्ष होगा तथा नुकसानी की राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से काटी जावेगी।
23. द्वितीय पक्ष हड़ताल/कार्यबन्दी नहीं करेगा एवं न ही इसमें भाग लेगा यदि द्वितीय पक्ष ऐसा करता है तो उससे होने वाली हानि एवं प्रथम पक्ष द्वारा जो भी दण्ड किया जावेगा, उसके लिये द्वितीय पक्ष जवाबदार रहेगा। साथ ही प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि इस कारण से द्वितीय पक्ष का अनुबंध निरस्त कर दे एवं प्रतिभूति राशि राजसात कर लेवें।
24. डेरी परिधि के अंदर तेज रफ्तार से वाहन नहीं चलाये जावेंगे, डेरी परिधि में वाहन की साफ सफाई नहीं की जावेगी। डेरी परिधि में वाहन के कर्मचारी नहाने धोने जैसे कार्य नहीं करेंगे। यदि ऐसा किया जाता है तो संघ द्वारा जो निर्धारित दण्ड किया जावेगा उसका द्वितीय पक्ष देनदार रहेगा, साथ ही बिना अनुमति केनो को पानी भरने में प्रयोग नहीं किया जावेगा यदि ऐसा करते हुए पाया जाता है तो संघ द्वारा जो दण्ड दिया जावेगा वह द्वितीय पक्ष को मान्य होगा। इसके अतिरिक्त डेरी परिसर में अंदर आने के पश्चात् जब तक वह वाहन वापस खाली बाहर नहीं जाता है, तब तक वाहन कर्मचारी वाहन के साथ ही रहेंगे।
25. वाहन में सामान उतारने व समितियों पर दूध के केन चढ़ाने उतारने, सामान की देखरेख करने एवं केनो पर पानी छिड़कने आदि का कार्य भी द्वितीय पक्ष के द्वारा करवाया जावेगा।
26. वाहन का स्पीडो मीटर एवं सेल्फ स्टार्टर हमेशा चालू रहेगा, यदि खराब हो जाता है, तो 24 घंटों में पुनः द्वितीय पक्ष द्वारा सुधरवाया जावेगा।
27. दुग्ध वाहन पर प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित रीति से ऐसी सूचनाएँ दुग्ध विक्रय हेतु नहीं है एवं सुदाना, पशुआहार एवं दुग्ध पदार्थ का विज्ञापन लिखवाना होगा।
28. इस अनुबंध के अंतर्गत यदि कोई राशि संघ/समितियों की निकलेगी तो प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष की चल/अचल संपत्ति से यह राशि वसूल करने का अधिकार होगा, इस प्रकार

से की जाने वाली वसूली हेतु यदि कोई अतिरिक्त व्यय होता है तो उसके लिये भी द्वितीय पक्ष और उसका उत्तराधिकारी जिम्मेदार रहेगा।

29. परिस्थिति वश अथवा आवश्यकता होने पर प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि, वह इस अनुबंध में यदि कोई नई शर्त को और सम्मिलित करना चाहे तो ऐसी शर्त पर परस्पर चर्चा कर जो निर्णय लिया जावेगा, वह द्वितीय पक्ष को मान्य होगा।
30. द्वितीय पक्ष अपना वारिस श्री/श्रीमती/कुं. संबंध उम्र को पूर्ण होशोंहवास में नामांकित घोषित करता है। द्वितीय पक्ष की मृत्यु उपरांत श्री/श्रीमती/कुं. को संघ से व्यवहार करने का अधिकार रहेगा। इसकी स्वीकृति के वारिस के हस्ताक्षर करवा कर प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष देगा।
31. द्वितीय पक्ष तथा प्रथम पक्ष के बीच मतभेद होने पर जो निर्णय संघ के अध्यक्ष द्वारा किया जावेगा वह द्वितीय पक्ष को मान्य होगा। सहमति न होने पर मध्यस्थता अधिनियम के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
32. संघ के कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों अथवा संचालक मण्डल के सदस्यों में द्वितीय पक्ष का कोई निकट का रिश्तेदार पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, माता, पिता नहीं है यह तथ्य द्वितीय पक्ष शपथ पत्र पर प्रस्तुत करेगा। अगर जाँच के दौरान उपरोक्त कथन असत्य पाया गया तो प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि वह यह अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि जप्त कर लें।
33. द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के परिचय पत्र मय फोटो के बनवाएँ जावेगे। वह हर समय गाडी के साथ रहेंगे, एवं उसकी एक प्रति दुग्ध संघ के कार्यालय में देंगे वाहन के साथ एक चालक व उसका एक सहायक ही रहेगा, कर्मचारी बदलने पर पुनः उनका परिचय पत्र एवं फोटो कार्यालय में देना होगा। वाहन चालक एवं सहायक का नियुक्ति आदेश प्रथम पक्ष द्वारा जारी किया जावेगा। उसकी एक प्रति दुग्ध संघ को भी पृष्ठांकित करेगा। परिवर्तन की स्थिति में दुग्ध संघ को तत्काल सूचित किया जावेगा।
34. द्वितीय पक्ष द्वारा दुग्ध परिवहन के साथ दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ (घी, मीठा दूध, श्रीखण्ड, मट्ठा) आदि की भरी एवं खाली क्रेट भी लाई एवं ले जाई जावेगी। यदि दुग्ध संकलन परिवहन के साथ विपणन की दरें भी अनुमोदित हैं तो किसी प्रकार का अतिरिक्त भाड़ा देय नहीं होगा। यदि दुग्ध संकलन परिवहन के साथ दुग्ध विपणन की दरें अनुमोदित नहीं हैं और निर्धारित मार्ग के अलावा वाहन को विपणन हेतु भेजा जाता है, तो उसका अनुबंधित दरों से भाड़ा देय होगा। इस हेतु दुग्ध वितरण हेतु निर्धारित समय तक वाहन को रोका जा सकेगा।
 - (अ) दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ वितरण हेतु दुग्ध संघ की अनुमोदित दर अनुसार परिवहन भुगतान किया जाएगा। इस हेतु द्वितीय पक्ष को क्रेट का पूर्ण हिसाब रखना होगा एवं खाली क्रेट संघ में प्रतिदिन जमा करानी होगी।
 - (ब) दूध वितरक से प्राप्त मांग एवं रसीदे डेरी में प्रतिदिन जमा कराना होगी।
 - (स) दिये गये दूध एवं दूध प्रदार्थों की पावती संघ में लाकर देनी होगी।
 - (द) समय पर दूध एवं दूध प्रदार्थ नहीं पहुँचाने की स्थिति में सम्पूर्ण दूध एवं दूध पदार्थ का मूल्य वाहन ठेकेदार के देयक से वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

35. स्थानीय, मध्यप्रदेश शासन, भारत शासन द्वारा जो भी कर लागू किये जावेंगे, वह द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से काट लिये जावेंगे एवं उसकी सूचना प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को दी जायेगी।
36. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 या अन्य वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक होने पर लाईसेन्स प्राप्त करने का उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। अनुबंध अवधि प्रारंभ होने के एक माह में लाईसेंस प्राप्त कर उसकी छायाप्रति दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी।
37. द्वितीय पक्ष का जिस दुग्ध संकलन मार्ग का ठेका होता है यदि मार्ग खराब हो तो उन संस्थाओं का दुग्ध संकलन लाने हेतु स्वयं द्वितीय पक्ष को व्यवस्था करना होगी, जिसका संपूर्ण दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा, इस हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा, यदि ऐसी व्यवस्था करने में द्वितीय पक्ष असफल होता है, तो प्रथम पक्ष द्वारा व्यवस्था की जावेगी वह द्वितीय पक्ष को मान्य रहेगी तथा उतनी राशि द्वितीय पक्ष के देयक से काटकर संबंधित को भुगतान करने का अधिकार प्रथम पक्ष को रहेगा। मार्ग खराब होने के कारण यदि संघ/समितियों को हानि होती है, तो उस हानि का उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष का होगा एवं ऐसी हानि द्वितीय पक्ष के देयक से काटने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
38. परिवहन वाहन के दूसरी मंजिल में केन लाने हेतु पटियों का पार्टीशन करना होगा किसी भी स्थिति में केनो के ऊपर केन रखने की अनुमति नहीं दी जावेगी। पार्टीशन व्यवस्था द्वितीय पक्ष को स्वयं करना होगी।
39. दुग्ध से भरे केनो की अधिकतम क्षमता निम्नानुसार होगी।
- | | |
|----------------------------------|--------|
| 0.6 से 0.8 टन भार क्षमता का वाहन | 20 केन |
| 0.7 से 1 टन भार क्षमता का वाहन | 25 केन |
| 1.2 से 1.5 टन भार क्षमता का वाहन | 40 केन |
- अनुबंधित वाहन में उक्त उपरोक्त क्षमता से अधिक केन आने पर प्रति पाली रुपये 5.00 प्रति केन का अतिरिक्त भुगतान किया जावेगा।
40. अनुबंधकर्ता को प्रत्येक माह प्रति 15 दिवस का परिवहन देयक (दिनांक 01 से दिनांक 15 एवं दिनांक 16 से दिनांक 31 तक) निर्धारित प्रारूप पर बनाकर प्रस्तुत करना होगा, जिसमें ठेकेदार के नाम एवं पते की सील तथा पेन नं. होना आवश्यक होगा। परिवहन देयकों के भुगतान हेतु दिनांक 1 से दिनांक 15 तक का देयक द्वितीय पक्ष द्वारा दिनांक 18 तक संघ/संयंत्र में देना होंगे, जिसका भुगतान संभवतः आगामी माह की दिनांक 15 तक किया जावेगा, उसी प्रकार दिनांक 16 से दिनांक 31 तक का देयक आगामी माह की दिनांक 3 तक संघ/संयंत्र में प्रस्तुत करना होगा, जिसका भुगतान संभवतः आगामी माह की दिनांक 30/31 तक किया जावेगा।
- यदि द्वितीय पक्ष द्वारा परिवहन देयक निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो भुगतान संबंधित समस्या हेतु द्वितीय पक्ष स्वतः जिम्मेदार होगा एवं देयक विलंबित के

फलस्वरूप उत्पन्न आयकर अथवा अन्य किसी भी वैधानिक दायित्व की क्षतिपूर्ति प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष के देयकों से शास्ति एवं ब्याज सहित कटौती कर की जावेगी।

41. संघ द्वारा दुग्ध समितियों हेतु प्रति पाली दी जाने वाली वेट स्लीप एवं एडवाईज पहुँचाने एवं उसकी प्राप्ति लाकर संघ कार्यालय में समय पर पहुँचाने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी। ऐसा न करने पर संघ द्वारा प्रति पाली प्रति संस्था के हिसाब से रुपये 5.00 एवं दण्ड स्वरूप द्वितीय पक्ष के देयक से कटौती की जावेगी।
42. यदि किसी दुग्ध संकलन मार्ग की किसी भी एक या अनेक समितियों में निरंतर दूध या फेट की शिकायत संघ कार्यालय, को प्राप्त होती है, तो संघ के अधिकारी/पर्यवेक्षक 3 पाली तक उक्त मार्ग के दुग्ध वाहन के साथ जावेंगे, अधिकारी/पर्यवेक्षक दूध वाहन के साथ संलग्न करने पर उन दिनों में यदि किसी भी समिति में कोई कमी न आती है, तो यह मानकर कि दुग्ध या फेट में कमी वाहन स्तर पर ही हो रही है, समितियों को होने वाले नुकसान की राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक/प्रतिभूति राशि से काटी जावेगी।
43. मुख्य कार्यपालन अधिकारी को 30 दिन की पूर्व सूचना पर बिना कारण बताए अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा, परन्तु उनके वाहन में नियुक्त कर्मचारियों के अवैधानिक अथवा अपराधिक कार्यों में सन्निहित होने की दशा में पुष्टि होने पर बिना पूर्व सूचना के अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा और इन परिस्थितियों में संघ द्वारा किसी प्रकार की पूर्व सूचना नहीं दी जावेगी। द्वितीय पक्ष द्वारा इस अनुबंध पत्र की शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अधिकार होगा कि वे बिना पूर्व सूचना दिये इस अनुबंध पत्र को निरस्त करने व अनुबंध पत्र निरस्त करने की दशा में संघ को जो हानि होगी, उसकी समस्त जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
44. संघ द्वारा निर्धारित समय सारणी अनुसार ही द्वितीय पक्ष को दुग्ध परिवहन कार्य करना होगा। यदि दुग्ध परिवहन वाहन निर्धारित समय पर दुग्ध परिवहन पाइन्ट पर नहीं पहुँचता है तो ऐसी दशा में समिति कर्मचारी निर्धारित समय के पश्चात् एक घंटे तक परिवहन पाइन्ट पर उपस्थित रहेगा। इस अवधि में भी वाहन दुग्ध परिवहन नहीं करता है तो उस दूध के खट्टे/फट्टे से हुई हानि की राशि एवं उस दूध को डेरी डाक/शीत केन्द्र तक पहुँचाने में समिति द्वारा किये गये व्यय की राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से काटी जावेगी।
45. स्वीकृत दरें अनुबंध समाप्ति तक मान्य रहेगी, भारत सरकार द्वारा डीजल की दरों में प्रतिदिन भाव तय किये गये हैं अतः प्रत्येक माह की दिनांक 01 से 15 तक के प्रतिदिन की डीजल दरों की औसत दर के आधार पर आगामी प्रत्येक माह की दिनांक 16 से 30/31 तक की औसत दर प्रभावशील रहेगी तथा दिनांक 16 से 30/31 के डीजल की दरों की औसत के आधार पर आगामी माह की दिनांक 01 से 15 तक की डीजल की औसत दरें प्रभावशील रहेगी। लेकिन अनुबंध अवधि में यदि डीजल दरों में कमी/वृद्धि होती है, तो ही अनुबंधित दर में कमी/वृद्धि की जावेगी दर में कमी/वृद्धि की गणना निम्नानुसार की जावेगी।

क्रमांक	वाहन का प्रकार	औसत प्रति लीटर
01.	0.6 से 0.8 टन क्षमता	21 कि.मी. पेट्रोल/34 कि.मी. डीजल
02.	0.7 से 1 टन क्षमता	22 कि.मी.
03.	1.2 से 1.5 टन क्षमता	15 कि.मी.

इस प्रकार औसत प्रति कि.मी. पर डीजल दर वृद्धि/कमी से राशि की गणना तदनुसार वाहन की दर में वृद्धि/कमी दिनांक से प्रति कि.मी. कमी/वृद्धि की जावेगी। डीजल के अतिरिक्त स्पेयर्स पार्ट्स, आईल तथा टायर ट्यूब आदि की दरों में वृद्धि होने पर अनुबंध दरों में वृद्धि नहीं की जावेगी।

46. अनुबंधित वाहन पर ड्रायवर एवं क्लीनर द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त उसके स्वयं के निजी कर्मचारी होंगे, तथा इन कर्मियों के संबंध में कर्मचारी भविष्यनिधि अधिनियम एक्ट या कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम अथवा अन्य कोई उसी प्रकार के अधिनियमों के अंतर्गत होने वाली जिम्मेदारी का दायित्व द्वितीय पक्ष का स्वयं का होगा एवं इसका रिकार्ड तथा कटौती का लेखा-जोखा द्वितीय पक्ष स्वयं को ही रखना होगा।
47. विशेष परिस्थितियों में अनुबंधित वाहन के स्थान पर कम भार क्षमता का वाहन चलाया जाने पर अनुबंधित दर में 20 प्रतिशत का कटौती किया जावेगा किन्तु वाहन ठेकेदार को मार्ग का समस्त संकलित दूध लाना होगा। अनुबंधित वाहन खराब या दुर्घटनाग्रस्त होने पर प्रथम पक्ष द्वारा वर्ष में अधिकतम 02 माह हेतु वैकल्पिक समान भार क्षमता का वाहन से दुग्ध संकलन परिवहन कार्य करने की अनुमति दी जा सकेगी, यदि इस अवधि में पुनः वाहन ठेकेदार द्वारा अनुबंधित क्षमता का वाहन नहीं लगाया जाता है, तो उसका अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात करने की कार्यवाही की जावेगी।
48. संकलन मार्ग पर बल्क मिल्क कूलर स्थापित किये जाने पर संकलन मार्ग के वाहन ठेकेदार को 01 माह पूर्व का नोटिस दिया जाकर वाहन बंद किया जा सकेगा।
49. डेयरी संयंत्र/शीत केन्द्र में अवरोध होने पर संकलन वाहनों को निकट के अन्य संयंत्र/शीत केन्द्र पर अनुबंधित दर पर भेजा जा सकेगा। यदि द्वितीय पक्ष द्वारा मना किया जाता है तो अन्य वाहन व्यवस्था करने पर अंतर की राशि द्वितीय पक्ष से वसूल की जा सकेगी।
50. संघ के द्वारा जो भी निर्धारित दुग्ध संकलन मार्ग निश्चित किया गया है, उसी पर वाहन खाली/भरी चलावे, यदि सत्यापन के समय पाया गया कि, वाहन निर्धारित मार्ग से नहीं चलाया जा रहा है तो न्यूनतम एक पाली के परिवहन का आर्थिक दण्ड किया जावेगा, साथ ही परिवर्तित मार्ग से जो दूरी कम होगी उसका सम्पूर्ण अनुबंध अवधि का कटौती किया जावेगा।

51. द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन लगाने के 15 दिवस के अंदर स्थाई लेखा संख्या (पेन नंबर) स्वयं सत्यापित की छाया प्रति संघ कार्यालय को प्रेषित करना होगी। तत्पश्चात् ही परिवहन देयक की स्वीकृति की कार्यवाही प्रथम पक्ष द्वारा की जावेगी
52. द्वितीय पक्ष (वाहन ठेकेदार) अनुबंध अवधि में अनुबंध हस्तांतरित नहीं कर सकेगा द्वितीय अनुबंध अवधि के मध्य अनुबंध अन्य वाहन ठेकेदार को हस्तांतरित करता है, तो अनुबंध निरस्त की कार्यवाही की जाकर प्रतिभूति राशि राजसात करने का अधिकार प्रथम पक्ष (दुग्ध संघ) को होगा साथ ही यदि द्वितीय पक्ष (वाहन ठेकेदार) अनुबंध अवधि में अपना वाहन आगे नहीं संचालित करना चाहता है तो न्यूनतम तीन माह पूर्व सूचना प्रथम पक्ष (दुग्ध संघ) को देना अनिवार्य होगा। प्रथम पक्ष द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था करने के उपरांत या सूचना दिनांक से तीन माह की अवधि जो भी पहले हो उक्त दिनांक से प्रथम पक्ष (दुग्ध संघ) द्वारा दुग्ध संकलन वाहन बंद किया जा सकेगा।
53. द्वितीय पक्ष द्वारा यह सुनिश्चित हो की अनुबंधित वाहन की नियमित सर्विसिंग होवे एवं अनुरक्षण के अभाव में दुर्घटना या खराबी उत्पन्न न हो।
54. दुग्ध परिवहन हेतु अनुबंधित वाहन में जी.पी.एस. सिस्टम (GPS System) द्वितीय पक्ष को स्वयं के व्यय से लगवाना अनिवार्य होगा एवं उसे चालू स्थिति में रखने की समस्त जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी। यदि जी.पी.एस. सिस्टम खराब होता है, तो उसे स्वयं के व्यय से 24 घण्टे में रिपेयर करवाकर चालू करना अनिवार्य रहेगा, ऐसा नहीं करने पर प्रतिदिन 100/- की पेनल्टी लगाई जावेगी। लगातार जी.पी.एस. सिस्टम खराब रहने पर अनुबंध निरस्ती की कार्यवाही की जा सकेगी तथा ऐसे वाहन ठेकेदार को आगामी दो वर्ष तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित भी किया जा सकेगा।
55. विवाद होने की स्थिति में दोनों पक्षों को संघ अध्यक्ष/प्रशासक का निर्णय मान्य होगा, साथ ही विवाद की स्थिति में समस्त निर्वादो हेतु न्यायालयीन क्षेत्र उज्जैन रहेगा।
- मैं द्वितीय पक्षकार अनुबंध शर्तों का अवलोकन भलीभाँति एवं होशोहवास में कर लिया है एवं निम्न साक्षियों के समक्ष प्रथम पक्ष से अनुबंध करता हूँ।

56. दुग्ध संकलन वाहन को डेयरी डाक/बीएमसी डाक पर दुग्ध संघ द्वारा दिया गया आने का सुबह/शाम का समय पर आना होगा यदि दुग्ध संकलन वाहन विलंब से आता है तो दिया गया निर्धारित समय से प्रथम 15 मिनट की छूट के पश्चात् यदि वाहन 15 मिनट तक लेट होता है, तो प्रथम 15 मिनट का रू. 500/- विलंब शुल्क का कटौती किया जावेगा, यदि आपके द्वारा बार-बार दुग्ध संकलन वाहन को डेयरी डाक/बीएमसी डाक पर विलंब से लाया जाता है, तो अनुबंध निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी।

प्रथम पक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन	द्वितीय पक्ष हस्ताक्षर अनुबंधकर्ता नाम _____ पिता/पति का नाम _____ पता _____ दूरभाष क्रं. _____ मोबाईल नम्बर _____ स्थायी लेखा संख्या पेन _____ आधार कार्ड नम्बर _____
अनुबंधकर्ता जमानतदार का नाम एवं हस्ताक्षर	अनुबंधकर्ता गवाह का नाम एवं पता
01. हस्ताक्षर _____ नाम _____ पता _____ मो0 नं. _____ आई.डी. प्रूफ _____ आधार कार्ड _____	01. हस्ताक्षर _____ नाम _____ पता _____ मो0 नं. _____ आई.डी. प्रूफ _____ आधार कार्ड _____
02. हस्ताक्षर _____ नाम _____ पता _____ मो0 नं. _____ आई.डी. प्रूफ _____ आधार कार्ड _____	02. हस्ताक्षर _____ नाम _____ पता _____ मो0 नं. _____ आई.डी. प्रूफ _____ आधार कार्ड _____

नोट:- उपरोक्त अनुबंध पत्र अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवलोकन कर सत्यापन किया गया।

प्रबंधक दुग्ध संयंत्र/शीत केन्द्र _____

सील सहित

दुग्ध संकलन परिवहन मार्ग का विवरण

दुग्ध संयंत्र रतलाम

क्रं	मार्ग	केम्प	अनुमानित दूरी प्र.दि. कि.मी.	दुग्ध संकलन अधिकतम/ न्यूनतम	वांछित वाहन का प्रकार
1	जस्साखेड़ी बड़गांवा शटल	रतलाम	112.4	500 / 400	0.7 से 1 टन तक भार क्षमता का वाहन

दुग्ध शीत केन्द्र शामगढ़

क्रं	मार्ग	केम्प	अनुमानित दूरी प्र.दि. कि. मी.	दुग्ध संकलन अधिकतम/ न्यूनतम	वांछित वाहन का प्रकार
1	बर्दियाउंचा-चंदवास I बीएमसी शटल	शामगढ़	106	1000 / 800	0.7 से 1 टन तक भार क्षमता का वाहन

दुग्ध संयंत्र उज्जैन

क्रं	मार्ग	केम्प	अनुमानित दूरी प्र.दि. कि. मी.	दुग्ध संकलन अधिकतम/ न्यूनतम	वांछित वाहन का प्रकार
1	बिछड़ोद (रुणजी बीएमसी शटल)	उज्जैन	80	700 / 400	0.7 से 1 टन तक भार क्षमता का वाहन
2	खेड़ाखजुरिया-आजमाबाद शटल	उज्जैन	68	900 / 500	0.7 से 1 टन तक भार क्षमता का वाहन
3	ढोढ़र बड़ौद बीएमसी शटल	आलोट	102	1600 / 1200	1.2 से 1.5 टन तक भार क्षमता का वाहन
4	खारवाकलां-मण्डावल बीएमसी शटल	आलोट	122	1900 / 1200	0.7 से 1 टन तक भार क्षमता का वाहन

दुग्ध शीत केन्द्र मनासा

क्रं	मार्ग	केम्प	अनुमानित दूरी प्र.दि. कि. मी.	दुग्ध संकलन अधिकतम/ न्यूनतम	वांछित वाहन का प्रकार
1	लसुड़ियाआंत्री बीएमसी शटल	मनासा	44.8	575 / 300	0.6 से 0.8 टन तक भार क्षमता का वाहन
2	देवरीखवासा बीएमसी शटल	मनासा	60	400 / 250	0.6 से 0.8 टन तक भार क्षमता का वाहन
3	आंत्रीमाता बीएमसी शटल	मनासा	88	730 / 520	0.7 से 1 टन तक भार क्षमता का वाहन

4	बंग्रेड—मनासा	मनासा	181	1280 / 860	1.2 से 1.5 टन तक भार क्षमता का वाहन
---	---------------	-------	-----	------------	--

- नोट:—01** संकलन मार्ग पर बल्क मिल्क कूलर स्थापित किये जाने पर संकलन मार्ग के वाहन ठेकेदार को 01 माह पूर्व का नोटिस दिया जाकर वाहन बंद किया जा सकेगा।
- 02— वर्ष 2022 या उसके बाद के वाहनों की निविदा ही स्वीकार की जावेगी।
- 03— दुग्ध समितियों में स्थापित बल्क मिल्क कूलर में अवरोध होने पर किसी भी वाहन को अनुबंधित दर पर उन बल्क मिल्क कूलर वाली समितियों में संकलन लाने हेतु भेजा जा सकेगा।
- 04— संयंत्र/शीत केन्द्र में अवरोध होने पर संकलन वाहनों को निकट के अन्य संयंत्र/शीत केन्द्र पर अनुबंधित दर पर भेजा जा सकेगा।

शपथ-पत्र (200.00 रु.) नोटरी द्वारा

नया वाहन निर्धारित क्षमता का क्रय हेतु शपथ पत्र का प्रारूप

नाम :- _____
पिता :- _____
उम्र :- _____
धंधा :- _____
निवासी :- _____
आधार नं. :- _____
मोबाईल नं. :- _____

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि मेरे द्वारा दुग्ध संकलन परिवहन
..... मार्ग की ई-निविदा ऑनलाईन जमा की गई है यदि संघ द्वारा मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आवेदन अनुसार निर्धारित क्षमता का वाहन 15 दिवस में उपलब्ध कराऊंगा।

यदि मेरे द्वारा समय-सीमा में वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो मेरे द्वारा जमा की गई अर्नेस्टमनी राजसात होती है तो उसमें मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं रहेगी।

दिनांक -

स्थान -

हस्ताक्षर शपथग्रहिता _____

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि शपथ-पत्र में उल्लेखित समस्त तथ्य मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास से सत्य एवं सही है। इसमें कुछ भी असत्य नहीं लिखाया है और न ही कोई तथ्य छिपाया है।

दिनांक -

स्थान -

हस्ताक्षर शपथग्रहिता _____

शपथ-पत्र (200.00 रु.) नोटरी द्वारा

काली सूची (ब्लेक लिस्टेड) शपथ-पत्र का प्रारूप

नाम :- _____
पिता :- _____
उम्र :- _____
धंधा :- _____
निवासी :- _____

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मध्य प्रदेश के किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था एवं अन्य दुग्ध संघों द्वारा मुझे ब्लेक लिस्टेड (काली सूची) नहीं किया गया है। जिसके संबंध में शपथ-पत्र प्रस्तुत है।

दिनांक —
स्थान —

हस्ताक्षर शपथग्रहिता _____

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि शपथ-पत्र में उल्लेखित समस्त तथ्य मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास से सत्य एवं सही है। इसमें कुछ भी असत्य नहीं लिखाया है और न ही कोई तथ्य छिपाया है।

दिनांक —
स्थान —

हस्ताक्षर शपथग्रहिता _____

दुग्ध संकलन परिवहन ई-निविदा हेतु तकनीकी निविदा

फार्म – A

(ANNEXURE-III)

(नोट :- निविदाकार इस प्रोफार्मा को पूर्ण भरकर स्केन कर तकनीकी बिड के रूप में अपलोड करेंगे)

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
उज्जैन

महोदय,

निविदा

प्रस्तुतकर्ता

का फोटो

मैंने आपके कार्यालय की दुग्ध संकलन परिवहन चतुर्थ ई-निविदा क्रमांक 2448 दिनांक 30.09.2026 पढ़ ली है। तदनुसार यह ई-निविदा स्वीकृत की जाती है, तो मैं आवश्यक रूप से दुग्ध संकलन/शटल परिवहन अनुबंध करने को तैयार हूँ। ईएमडी राशि रुपये 10,000.00 अक्षरी रु. दस हजार ऑनलाईन जमा करनी होगी तथा उसकी मूल प्रति स्केन कर ई-निविदा के साथ अपलोड करना होगी। निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में वाहन नियत दिनांक एवं समय पर उपलब्ध कराऊँगा।

वांछित जानकारी निम्नानुसार है :-

01-वाहन स्वामी का नाम पिता का नाम वारिस
..... उम्र संबंध

02-वाहन का प्रकार..... वाहन क्रमांक..... मॉडलवर्ष..... पेन नं.....
आधार कार्ड नम्बर

03-वाहन का पंजीयन क्रमांक..... वाहन क्षमता मेटन

04-दुग्ध संकलन परिवहन मार्ग का पूरा नाम एवं रूट क्रमांक.....

05-अवधि दिनांक से दिनांक तक तथा आपसी सहमति से 02 वर्ष (एक-एक वर्ष)
अनुबंध अवधि बढ़ाने का संघ को अधिकार प्रदान करता/करती हूँ।

06-यदि निविदाकार के पास वर्तमान में वाहन उपलब्ध नहीं है, तो नया वाहन क्रय हेतु वाहन उपलब्ध कराये जाने संबंधि नोटरी से 200.00 रु. के मूल शपथ पत्र ई-निविदा के साथ ऑनलाईन अपलोड करें। सफल होने पर यदि नवीन वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दुग्ध संघ की आगामी निविदा हेतु (दो वर्ष तक) अपात्र किया जायेगा।

07-क्रमांक 02, 03, 06, एवं 08 से संबंधि शपथ पत्र, वाहन के पंजीयन प्रपत्र की प्रतियां, पेन कार्ड, आधार कार्ड, ऑनलाईन जमा अर्नेस्टमनी की रसीद ई-निविदा के साथ स्केन कर अपलोड करें।

08-मैं यह शपथपूर्वक घोषणा भी करता/करती हूँ की मुझे किसी भी दुग्ध संघ/शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है के संबंध में नोटरी से 200.00 रु. के मूल शपथ पत्र ई-निविदा के साथ ऑनलाईन अपलोड करें।

नोट :- वर्ष 2022 या उसके बाद के वाहनों की निविदा ही स्वीकार की जावेगी।

मैं घोषित करता/करती हूँ कि, उपरोक्त अनुसार क्रमांक 01 से 08 तक सत्य है। मुझे संघ की सभी शर्तें एवं नियम मान्य है, अगर दी गई जानकारी त्रुटिपूर्ण पाई जाती है, तो संघ का अंतिम निर्णय मुझे मान्य होगा।

निविदा प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकार पूरा नाम

पता.....

पेन न. मोबाइल नम्बर

आधार न.

हस्ताक्षर निविदा कमेटी सदस्य

01 ----- 02 ----- 03 ----- 04 ----- 05 ----- 06 -----

दर निविदा प्रपत्र

(केवल ऑनलाईन अपलोड हेतु)

(ANNEXURE-IV)

फार्म – B

निविदाकर्ता का नाम/फर्म का नाम

क्रं.	दुग्ध संकलन मार्ग	वाहन भार क्षमता	मात्रा	दर रु. प्रति कि.मी.
01	जस्साखेड़ी बड़गांवा बीएमसी शटल	0.7 से 1 टन तक भार क्षमता का वाहन	01	
02	बर्डियाउंचा-चंदवासा बीएमसी शटल	0.7 से 1 टन तक भार क्षमता का वाहन	01	
03	बिछड़ोद-रुणजी बीएमसी शटल	0.7 से 1 टन तक भार क्षमता का वाहन	01	
04	खेड़ाखजुरिया-आजमाबाद बीएमसी शटल	0.7 से 1 टन तक भार क्षमता का वाहन	01	
05	ढोढर-बड़ोद बीएमसी शटल	1.2 से 1.5 टन तक भार क्षमता का वाहन	01	
06	खारवाकलां- मण्डावल बीएमसी शटल	0.7 से 1 टन तक भार क्षमता का वाहन	01	
07	लसुड़ियाआंत्री बीएमसी शटल	0.6 से 0.8 टन तक भार क्षमता का वाहन	01	
08	देवरीखवासा बीएमसी शटल	0.6 से 0.8 टन तक भार क्षमता का वाहन	01	
09	आंत्रीमाता बीएमसी शटल	0.7 से 1 टन तक भार क्षमता का वाहन	01	
10	बंग्रेड-मनासा	1.2 से 1.5 टन तक भार क्षमता का वाहन	01	

दिनांक –

हस्ताक्षर

नाम _____

मो.न. _____